राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या–1388/2014/हनुमानगढ

1. श्री भरत कुमार पुत्र श्री दीनदयाल माहेश्वरी
2. श्री ललित मोहन पुत्र बालचंद माहेश्वरी
   निवासीगण मेहरवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ .....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. अध्यक्ष मेहरवाला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0, मेहरवाला
3. शरत कुमार पुत्र दीनदयाल माहेश्वरी
   निवासी मेहरवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ ...अप्रार्थीगण.

2. निगरानी संख्या–1399/2014/हनुमानगढ

1. शरत कुमार पुत्र दीनदयाल माहेश्वरी
   निवासी मेहरवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. अध्यक्ष मेहरवाला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0, मेहरवाला ...अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओम प्रकाश मोदी
अभिभाषक। .....प्रार्थीगण क्रेता की ओर से.

श्री अनिल पोखरना
उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.09.2016

यह दोनों निगरानीयां प्रार्थीगण द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), हनुमानगढ (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के पृथक–पृथक आदेश दि. 19.5.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्सों को यथावत स्वीकार किया है। दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है।

दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

निगरानी सं0 1388/2014 – प्रार्थी सं. 1 के पिता श्री दीनदयाल व प्रार्थी सं. 2 के पिता श्री बालचंद ने अपने स्वामित्व की कृषि भूमि दि0 27.9.1969 को मेहरवाला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 को 10 वर्षो के लिये पूल करके संयुक्त कृषि सहकारी समिति के सदस्य बने, जिस दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दि. 1.8.1970 को करवाया गया। पूल की गयी भूमि को 10 वर्षो पश्चात पुनः भू–स्वामी को लौटाया जाना था। दोनों प्रार्थीगण के पिता

लगातार.....2

का स्वर्गवास हो गया एंव 10 वर्षों की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के फलस्वरूप सहकारी समिति ने प्रस्ताव पारित कर उनकी सदस्यता समाप्त करते हुए पूल की गयी भूमि पुनः उनके नाम दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया।

निगरानी सं0 1399/2014 – प्रार्थी सं. 1 अपने स्वामित्व की कृषि भूमि दि0 27.9.1969 को मेहरवाला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 को 10 वर्षों के लिये पूल करके संयुक्त कृषि सहकारी समिति के सदस्य बने, जिसका दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दि. 1.8.1970 को करवाया गया। पूल की गयी भूमि को 10 वर्षो पश्चात पुनः भू–स्वामी को लौटाया जाना था। 10 वर्षों की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रार्थी की सदस्यता समाप्त हो जाने के फलस्वरूप सहकारी समिति ने प्रस्ताव पारित कर उनकी सदस्यता समाप्त करते हुए पूल की गयी भूमि पुनः उनके नाम दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया।

दोनों प्रकरणों में विवादित भूमि पूर्वानुसार प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई एंव सहकारी समिति अधिनियम की धारा 40(2) के अनुसार प्रकरणों में किसी प्रकार का मुद्रांक शुल्क देय नहीं होने के कारण उसको मुद्रांक शुल्क से मुक्त रखा गया। तत्पश्चात आंतरित लेखा जांचदल द्वारा परीक्षण के दौरान पाया गया कि उप पंजीयक द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.4.1990 के अनुसार छूट दी गयी है एंव समिति द्वारा समिति के सदस्यों के वारिसानों के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण कारोबार से संबंधित नहीं है, जिससे निम्न तालिकानुसार मांग सृजित करते हुए पक्षकारों से राशियां वसूली का लेखा आक्षेप किया गया, जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगणों को नोटिस जारी करते हुए मांग राशियां राजकोष में जमा नहीं होने के आधार पर अधिनियम की धारा 51(4) के तहत कमी स्टाम्प/पंजीयन शुल्क जमा कराने के प्रकरण बनाते हुए दोनों प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स किये। प्रस्तुत रेफरेन्सों के आधार पर कलक्टर (मुद्रांक) ने उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अपने आदेश दिनांक 19.5.2014 पारित करते हुए निम्न तालिकानुसार मांग राशियां कायम की। जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह दोनों निगरानियां कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रस्तुत दोनों निगरानियों की तालिका निम्नानुसार है :–

निगरानी सं.	कलक्टर मुद्रांक का प्रकरण सं.	पूल की गयी भूमि का रकबा	विवादित राशि
1388/14	656/10	71 बीघा व 49 बीघा	11,04,500
1399/14	655/10	71 बीघा	6,53,700

उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि दोनों प्रकरणों में भूमियां 10 वर्षों के लिये पूल की गयी थी एंव 10 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात नियमानुसार पूल की गयी भूमि को समिति द्वारा दिनांक 30.5.2008 को प्रस्ताव पारित करते हुए उसको वापस खातेदारों को देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 40(2) के अनुसार प्रकरणों में किसी प्रकार का मुद्रांक शुल्क देय नहीं होने के कारण उसको मुद्रांक शुल्क से

लगातार.....3

मुक्त रखा गया। तत्पश्चात आंतरित लेखा जांचदल द्वारा बिना किसी आधार के आक्षेप अंकित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 F2(4)FD/Gr IV/89 dt. 21-4-1990 के अनुसार भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी और से या उसके किसी अधिकारी अथवा सदस्य द्वारा ऐसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के संबंध में निष्पादित किसी भी लिखित के या ऐसी लिखतों के किसी भी वर्ग के संबंध में या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी भी पंचाट या आदेश के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहर किया गया है।

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि केवल मात्र ए.जी. निरीक्षण दल द्वारा निकाले गये आडिट आक्षेप के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किये गये हैं एंव कलक्टर मुद्रांक ने अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हुए प्रस्तुत रेफरेन्सों को यथावत स्वीकार किया है। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तावित पारित करते हुए पूल की गयी भूमियों को पुनः अपने भू–स्वामियों के नाम अंकित करने के निर्देश दिया गये हैं ना कि भूमियों का किसी प्रकार का विक्रय किया गया है एंव ना ही हस्तानान्तरण किया गया है। पूल से मुक्त करने का प्रस्ताव दस्तावेज अन्तरण की परिभाषा में नहीं आता है, जिस पर किसी प्रकार की कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होती है। उप पंजीयक द्वारा सहकारी समिति का प्रस्ताव पंजीबद्ध करते हुए पक्षकारों को लौटाया जा चुका था जिससे उप पंजीयक functus officio हो चुका है एंव उसको रेफरेन्स करने के अधिकार नहीं है। मूल दस्तावेजों के अभाव में रेफरेंस पोषणीय नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2002(1) 533, आरआरटी 2006(1) 357 RHC, आरआरटी 2007(2) 1130, आरआरटी 2009(2) 905, आरआरटी 2011(1) 557, आरआरटी 2012(1) 252 एंव आरआरटी 2012(2) 1168 प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रस्तुत दोनों निगरानियों को स्वीकारते हुए कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2014 को निरस्त करने का निवेदन किया एंव प्रार्थीगण बाध्यकारी रूप से जमा करवायी गयी राशियों को रिफण्ड करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमियों में प्रार्थीण द्वारा स्वेच्छा से सहकारी समिति को पूल किया गया था एंव परिपत्र दिनांक 21.4.1990 की पालना नहीं होने के कारण उनमें किसी प्रकार की मुद्रांक शुल्क की छूट देय नहीं है। समिति द्वारा समिति के सदस्यों के वारिसानों के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण कारोबार से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में उप पंजीयक द्वारा रेफरेंस प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण की दोनों निगरानियां अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। इन दोनों प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि प्रकरणों में भूमियां 10 वर्षों के लिये सहकारी समिति को पूल की गयी थी एंव 10 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात नियमानुसार पूल की गयी भूमि को समिति द्वारा दिनांक 30.5.2008 को प्रस्ताव पारित करते हुए उसको वापस

लगातार.....4

खातेदारों को देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 40(2) के अनुसार प्रकरणों में किसी प्रकार का मुद्रांक शुल्क देय नहीं होने के कारण उसको मुद्रांक शुल्क से मुक्त रखा गया। तत्पश्चात आंतरित लेखा जांचदल द्वारा समिति के सदस्यों के वारिसानों के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण कारोबार से संबंधित नहीं होने के आधार पर आक्षेप अंकित किये गये हैं, जिसके आधार पर उप पंजीयक ने प्रकरणों में रेफरेंस दर्ज करवाये हैं।

सहकारी समिति अधिनियम की धारा 40(2) का उल्लेख निम्नानुसार है:–

"संयुक्त कृषि सहकारी सोसाइटी – संयुक्त कृषि सहकारी सोसाइटी में भूमि पर स्वामित्व तो सदस्य का रहता है, किन्तु वह किसी अवधि विशेष के लिये सामूहिक रूप से कृषि करने हेतु अपनी भूमि समूहीकृत या संयुक्त करने को सहमत हो जाता है। इस संबंध में सोसाइटी की उपविधियों में प्रावधान होते हैं। उस निश्चित अवधि के पश्चात सदस्य अपनी भूमि समूह (Pool) से वापस निकालने का हकदार हो जाता है। यदि किसी संयुक्त कृषि सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में प्रावधान हों अथवा सदस्य द्वारा निष्पादित इकरारनामें में शर्त हो कि सदस्य की समूहीकृत भूमि यदि किसी सोसाइटी की सम्पूर्ण समूहीकृत भूमि के बीच में हो तो उसे किनारे की कोई भूमि या भूमि का मूल्य दिया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में सदस्य ऐसी शर्त को मानने के लिये बाध्य होगा।"

.....

(3) उप–धारा (3) में सदस्यों की अनावश्यक भाग–दौड़ एवं वैधानिक कार्यवाही से बचाने हेतु यह व्यवस्था है कि भूमि को समूहीकृत करने की अवधि की समाप्ति के सात ही संबंधित सदस्य की समूहीकृत (Pooled) भूमि पुनः सदस्य में समाहित हो जायेगी, जैसी कि करार से पूर्व (भू–अभिलेख में) थी।

राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 F2(4)FD/Gr IV/89 dt. 21-4-1990 का उल्लेख निम्नानुसार है :–

"In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Indian Stemp Act, 1899 (No II of 1899) as adapted to Rajasthan under the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 (No. VII 1952), the State Government hereby remits the stamp duty, chargeable under any law for the time being in force in respect of any instrument executed by or on behalf of a Co-operative Society or by an Officer or member thereof and registered under the provisions of Indian Registration Act and relating to the business of such society or any class of such instruments or in respect of any award or order made under this Act."

Provided that such remission shall not apply to an instrument executed by or on behalf of a Housing Co-operative Society or by an officer or member thereof.

प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी सोसाइटी के नियमों के तहत अपने स्वामित्व की कृषि भूमियों को 10 वर्षों के लिये मेहरवाला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 को समूह (Pool) पर रखा गया था एंव निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने उपरान्त समिति का यह दायित्व था कि वो पूल पर रखी सम्पत्ति को मुक्त कर पुनः खातेदारों के नाम दर्ज करावें। अतः खातेदारों द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि को संयुक्त कृषि सहकारी सोसायटी के तहत पूल में रखना एवं समिति द्वारा रखी गई जमीन को मुक्त करना सहकारी समिति अधिनियम, 2001 की धारा 40(2),

लगातार.....5

40(3) के तहत निर्धारित है एंव राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 F2(4)FD/Gr IV/89 dt. 21-4-1990 अनुसार किसी भी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को परिहार (remit) किया गया है।

ऐसी स्थिति में उप पंजीयक द्वारा कलक्टर मुद्रांक को प्रस्तावित रेफरेंस अनुचित एंव अविधिक प्रतीत होते है एंव कलक्टर मुद्रांक ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हुए अपने आदेश पारित किये हैं, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण अपास्तनीय योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती हैं एंव कलेक्टर (मुद्रांक) के दोनों आदेश दिनांक 19.05.2014 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

22.9.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष